सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां
जिला जोधपुर

प्री.नं. 206A/19
निर्णय दिनांक 1/3/19

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–:: आदेश ::–

राजस्व विभाग (ग्रुप 6) के पत्र कमांक प.3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट/ दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान सरकार द्वारा जारी रास्ता अभियान के अन्तर्गत रास्तों की समस्याओं के निवारणार्थ राजस्व विभाग से सर्वे करवाकर मौके पर जारी रास्तों के राजस्व रेकर्ड में अकंन बाबत् प्रस्ताव आमत्रिंत किया गया। इसी सन्दर्भ में तहसीलदार बापिणी द्वारा तहसील बापिणी के पटवार मण्डल ईशरू के राजस्व ग्राम ईशरू के प्रस्ताव संख्या (2) धिराणीयों की ढाणी सड़क से उदय सिंह की कटाण ढाणियां तक रास्ता दर्ज करने के प्रस्ताव प्रेषित किए गए है। इस सन्दर्भ में अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 661 रकबा 45 बीघा 12 बिस्वा किस्म बी–4 में से 0.07 बिस्वा, खसरा नम्बर 660 रकबा 104 बीघा 13 बिस्वा किस्म बी–4 में से 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 656 रकबा 67 बीघा 13 बिस्वा किस्म बी–4 में से 0.11 बिस्वा, खसरा नम्बर 656/4 रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा किस्म बी–4 में से 0.01 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बापिणी को आदेश दिया जाता है कि इसी अनुसार मौके पर रास्ता चालू होने की स्थिति में राजस्व रेकर्ड (जमाबन्दी एवं नक्शे) में नियमानुसार अकंन किया जावे। निजी खातेदारी की भूमि में स्थायी सावर्जनिक रास्ता संबंधित खातेदार में ही रहेगा। परन्तु जमाबंदी व नक्शे में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाएगा और भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावे। राजकीय भूमियों के अधीन भूमियों में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में रेकर्ड में अकंन किया जावे। तहसीलदार बापिणी आदेशानुसार दर्ज कर पालना इस न्यायालय को प्रेषित करे।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

क्रमांक/सम/कोर्ट/2019/ 322-23 दिनांक – 1/3/19

प्रतिलिपि –

1. तहसीलदार बापिणी को आ[...] कार्य।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:33:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी ओसिय

Scanned by CamScanner